:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–5/2016–वे0आ0–1–430(ए)/दस–2016–42(एम)/2008 दिनांक 13 जून, 2016 के कम में परिपत्र संख्या–सी–22/स्थापना/मं0भत्ता/2016–17 दिनांक 16.06.2016 द्वारा बैंक कर्मचारियों को संशोधित दरो से महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, पुनः राज्य सरकार द्वारा **शासनादेश संख्या–5/2017–वे0आ0–1–467/दस–2017–8(एम)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017** द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नही हुए है को महंगाई भत्ते का **दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017** से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या–5/2017–वे0आ0–1–467/दस–2017–8(एम)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017 के कम में बैंक के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियो जिनके द्वारा बैंक आदेशांक–24607/स्था0/2010–11 दिनांक 26.05.2011 द्वारा लागू छठे वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नही हुए है, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ता निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01–07–2016	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत
01–01–2017	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है, से होगा।

2– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 1 जनवरी 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है अर्थात दिनांक 01.01.96 के पूर्व के वेतनमानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बैंक के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.1.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिया है, को दिनांक 01.07.16 एवं 01.01.17 से संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की कोई स्वीकृति उपर्युक्त **शासनादेश संख्या–5/2017–वे0आ0–1–467/दस–2017–8(एम)/2016 दिनांक 13 जुलाई 2017** में नही प्रदान की गई है।

3–इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

4–मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम 1 रू0 में पूर्णांकित करते हुये भुगतान किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : सी-37/स्थापना/मं0भत्ता/2017–18 दिनांक : 26-07-17

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2– प्राचार्य,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3– प्रबन्धक श्रेणी–3(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
4– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
5– उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल/कम्पयूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

26.07.17
(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)